संचिका सं0–7/MCH -35-03/2026-27 - 164(78)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 13/04/2026

विषय:– वित्तीय वर्ष 2026–27 मे नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू0 99,00,000/– (रूपये **निन्यानवे लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि विभागीय सकल्प सख्या–1017(1), दिनाक–28.08.2017 एव सकल्प संख्या–877(1), दिनाक–27.09.2022 के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2026–27 मे नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना मे इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू0 99,00,000/– (रूपये निन्यानवे लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन माग स0–20 के अतर्गत स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष-01–शहरी स्वास्थ्य सेवाए–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0004–नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड–20-2210-01-110-0004 अतर्गत छात्रवृति/वजीफा (34–01) मद मे उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना होंगे एव नियत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमडंल, पटना होगे।

(4) निकासी एव व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एव स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रो के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि(2), दिनांक–17.04.1998 के प्रावधानो के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

(8) प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका स०–7/MCH -35-03/2026-27 के पृष्ठ–03/टि० पर प्राप्त है।

(9) इसमे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) संबंधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

13.4.26

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 7/MCH -35-03/2026-27-.164 (7B) /स्वा0, पटना, दिनाक– 13/04/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, पटना प्रमडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अधीक्षक, नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07बी एव सबधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.4.26

सरकार के अपर सचिव